विविध बैंक प्रकरण संख्या 117/2019 (RCMS 2019/00194) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा जवाहर नगर, श्रीगंगानगर जरिये रामप्रसाद मीणा, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक (रामसेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. नूपुर मक्कड़ पुत्री मोहन लाल मक्कड़ निवासी मकान नं. 31, चक 5 ई छोटी, पूजा कॉलोनी, श्रीगंगानगर 2. मोहन लाल मक्कड़ पुत्र दीवान चंद, मैसर्स न्यू एरा कॉस्मेटिक, अग्रसेन नगर, नजदीक गुरूद्वारा, श्रीगंगानगर एवं मकान नं. 31, चक 5 ई छोटी, पूजा कॉलोनी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.01.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित थे। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में दिनांक 25.11.2019 को सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 11.09.2019 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण नूपुर मक्कड़ एवं मोहन लाल मक्कड़ को ऋण सुविधा के रूप में खाता संख्या 61214294890 में दिनांक 03.03.2014 को 2,79,000/– रूपये (अखरे रूपये दो लाख उन्नयासी हजार मात्र) एवं खाता संख्या 61083509006 में दिनांक 24.11.2009 को 1,68,000/– रूपये (अखये रूपये एक लाख अडसठ हजार मात्र) कुल 4,47,000/– रूपये (अखरे रूपये चार लाख संतालिस हजार मात्र) के ऋण स्वीकृत किये गये थे और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मोहन लाल की अचल सम्पत्ति मकान नं. 31, (क्षेत्रफल 27'9'' गुणा 65' वर्गफुट) पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाते दिनांक 30.11.2017 एवं 04.02.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिये गये। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 14.03.2018 को 4,87,279/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है

जिला मजिस्ट्रेट

जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 14.03.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणियों नूपुर मक्कड़ एवं मोहन लाल मक्कड़ द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी मोहन लाल मक्कड़ की उक्त अचल सम्पति मकान नं. 31, (क्षेत्रफल 27'9'' गुणा 65' वर्गफुट) पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक के उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण नूपुर मक्कड एवं मोहन लाल मक्कड को** खाता संख्या 61214294890 में दिनांक 03.03.2014 को 2,79,000/– रूपये (अखरे रूपये दो लाख उन्नयासी हजार मात्र) एवं खाता संख्या 61083509006 में दिनांक 24.11.2009 को 1,68,000/– रूपये (अखये रूपये एक लाख अडसठ हजार मात्र) कुल 4,47,000/– रूपये (अखरे रूपये चार लाख संतालिस हजार मात्र) **के ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मोहन लाल मक्कड़ की उक्त अचल सम्पत्ति मकान नं. 31, (क्षेत्रफल 27'9'' गुणा 65' वर्गफुट) पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाते दिनांक 30.11.2017 एवं 04.02.2016 **को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गए। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 14.03.2018 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये।** धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के पोस्ट ऑफिस की प्राप्ति रसीद,

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्राप्ति रसीद एवं ट्रेक कन्साईन्मैंट की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है। उक्त धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई और न ही कोई आपत्तियां या अभ्यावेदन पेश किया गया। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई ऋणी मोहन लाल मक्कड़ की अचल सम्पत्ति मकान नं. 31, (क्षेत्रफल 27'9'' गुणा 65' वर्गफुट) पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी **अचल सम्पत्ति** मकान नं. 31, (क्षेत्रफल 27'9'' गुणा 65' वर्गफुट) पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर **जो ऋणी श्री मोहन लाल मक्कड के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है,** का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 14.03.2018 की तामील का प्रश्न है।

जिला मजिस्ट्रेट

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार जारी किया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 14.03.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण नूपुर मक्कड़ एवं मोहन लाल मक्कड़ को जारी किया गया है, की पोस्ट आफिस की रसीद, धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति रसीद एवं ट्रैक कन्साईन्मैंट की प्रति पेश की है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को नोटिस की तामील हो चुकी है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने बैंक की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही धारा 13(2) नोटिस पर कोई आपत्तियां या अभ्यावेदन पेश किया है। इसलिए बंधक रखी गई उक्त्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा को प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2019 अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई ऋणी देवेन्द्र सिंह मक्कड़ की अचल सम्पत्ति मकान नं. 31, (क्षेत्रफल 27'9'' गुणा 65' वर्गफुट) पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्तियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई **जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट